संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में दिशा निर्देश

1. दिनांक 16/08/2023 को काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर संस्था का आवंटन प्रदर्शित होगा। जिसमें आवंटित संस्था का नाम एवं जिला का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जायेगें तथा अन्य अभ्यर्थी आगामी प्रक्रियाओं के लिये पात्र होंगें। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण/ऑफर पत्र प्रदर्शित होगा जिसका अभ्यर्थी प्रिंटआउट ले सकेंगें। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है, का विवरण दर्ज रहेगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को किसी यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी। दस्तावेज के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले एवं न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी आगामी चयन प्रक्रियाओं के लिये पात्र नहीं होगें।
3. मेरिट सूची परीक्षा में प्राप्तांक तथा अधिमान के आधार पर तैयार की गई है। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित पद हेतु आवेदन करते समय व्यापम के पोर्टल पर भरी गई जानकारी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित दो-दो छायाप्रतियां भी जमा करनी होंगी। यदि उनके द्वारा संबंधित दस्तावेज गलत प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत नहीं किया जाता है या संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है या संगत योग्यता/अनुभव/सीआईटीएस योग्यता धारित नहीं की जाती, तो वे सीधे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जावेगें।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासियों को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. अभ्यर्थी के पास विज्ञापन में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताओं, वांछित अनुभव एवं अन्य अर्हता तथा आवश्यक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/05/2023 के पश्चात् जारी किए गए शैक्षणिक अर्हताओं, वांछित अनुभव, वांछित वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
7. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी प्रवेश पत्र, प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं आमंत्रण/ऑफर पत्र की दो-दो प्रति अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा संबंधित पद हेतु आवेदन करते समय व्यापम के पोर्टल पर भरी गई जानकारी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करते समय दर्ज जानकारी से उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता/अनुभव प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/ वांछित वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रमाण पत्रों का मिलान होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा संबंधित दस्तावेज गलत प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत नहीं किया जाता है या संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है या संगत योग्यता/अनुभव/ सीआईटीएस योग्यता धारित नहीं की जाती, तो वे सीधे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जावेंगे।
9. आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताओं का प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पत्रोपाधि, सीआईटीएस सर्टिफिकेट, वांछित अनुभव प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वांछित वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस तथा आयु संबंधी प्रमाण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है।
10. आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जायेगी। अभ्यर्थी को प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उन्नतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। निर्धारित उम्र सीमा के संबंध में विज्ञापन की कंडिका 5 की उप कंडिका (i) से (xi) तक का अवलोकन करें।

12. विज्ञापन में जिन व्यवसायों में हल्के मोटर यान (एलएमव्ही) का वैध स्थायी ड्राइविंग लायसेंस अनिवार्य है, उन व्यवसायों के अभ्यर्थियों को वैध स्थायी ड्राइविंग लायसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का जारी किया गया न हो।

13. दस्तावेज सत्यापन के दौरान निजी आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज द्वारा जारी अध्यापन के अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त संचालक 02 दिवस के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने वाली निजी आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज में जाकर अभ्यर्थी के अध्यापन/वेतन/उपस्थिति आदि से संबंधित मूल अभिलेखों की जांच करेंगे तथा जांच उपरांत उक्त जारी अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता सुनिश्चित होने के उपरांत ही अभ्यर्थी को पात्र/अपात्र माना जावेगा।

14. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् वे अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

15. यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते है, तो उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिये विभाग/संचालनालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

16. शासकीय आई.टी.आई. के मेहमान प्रवक्ताओं के अनुभव के संबंध में संचालनालय पत्र क्रमांक 708 (2)/संरोप्र/स्थाप-प्रशि/भर्ती/2023/1774, दिनांक 12.05.2023 द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

17. यदि अभ्यर्थी शासकीय आई.टी.आई. में संविदा प्रशिक्षण अधिकारी अथवा मेहमान प्रवक्ता है तो उसके द्वारा जिस ट्रेड/विषय में अध्यापन/प्रशिक्षण कार्य संपादन का कार्य किया है, उसी ट्रेड/विषय हेतु ही अभ्यर्थी का अनुभव मान्य किया जावेगा। इसी प्रकार निजी आई टी आई में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा जिस ट्रेड/विषय में अध्यापन/प्रशिक्षण कार्य संपादन का कार्य किया है, उसी ट्रेड/विषय हेतु ही अभ्यर्थी का अनुभव मान्य किया जावेगा।

18. इंजीनियरिंग कालेज/पॉलिटेक्निक में अभ्यर्थी द्वारा जिस संकाय/विषय में अध्यापन कार्य किया गया है उससे सम्बंधित ट्रेड/विषय हेतु ही अभ्यर्थी का अनुभव मान्य किया जावेगा।

19. शासकीय इंजीनियरिंग कालेज/पॉलिटेक्निक में पार्ट टाइम व्याख्याता के रूप में किये गये अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय आई.टी.आई. के मेहमान प्रवक्ताओं हेतु घंटो के आधार पर निर्धारित वर्ष के अनुरूप मान्य किया जावेगा।

20. शासकीय एवं निजी आई.टी.आई./इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिरिक्त व्ही.टी.पी./अन्य संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।

21. अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना अनिवार्य है। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व जारी होना अनिवार्य है। नि:शुल्क अथवा मानसेवी अध्यापन का अनुभव मान्य नहीं किया जायेगा।

22. जिन अभ्यर्थियों के पास छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र हैं, उनके अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही उनके चयन पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।

23. शैक्षणिक अर्हता से संबंधित स्वप्रमाणित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना एवं दो-दो छायाप्रति जमा किया जाना अनिवार्य है।

24. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी दिव्यांगजन, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जिसमें उनकी दिव्यांगता के प्रकार का विज्ञापन में दर्शाये अनुसार स्पष्ट उल्लेख हो) प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ही दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

25. आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

26. विभाग के अधीन संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के लिए जारी विभागीय विज्ञापन में उल्लेखित कंडिकाओं के अनुरूप ही अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण सूक्ष्मता से किया जावेगा।

27. यदि अभ्यर्थी ने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

28. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनके जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में रू. 50/- के नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप (एक) में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

29. सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां एवं दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां सत्यापन के समय अभ्यर्थियों से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्र के अभाव में उसे प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

30. आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के सत्य एवं वास्तविक होने संबंध में निर्धारित प्रारूप (दो) में रू. 50/- के नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

31. दस्तावेज सत्यापन में पात्र अथवा अपात्र होने की जानकारी अभ्यर्थी के लॉगिन पर (कारण सहित) अपलोड कर दी जायेगी।

संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ—पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र ...... वर्ष .... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण—पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण—पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

—7—

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....
आत्मज/आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....

प्रारूप (दो)

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्बन्ध में प्रस्तुत

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी....................... पिता/पति .... उम्र.............. निवासी............ पोस्ट ऑफिस............, तहसील ...., जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि :

1. मेरे द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताओं का प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पत्रोपाधि, सीआईटीएस प्रमाण पत्र, वांछित अनुभव प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वांछित स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस तथा आयु संबंधी प्रमाण पत्र आदि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र सर्वोत्तम ज्ञान अनुसार सत्य एवं सही है। जिसकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्तर पर भौतिक रूप से की जा सकती है। इससे संबंधित भुगतान किये गये वेतन तथा नियुक्ति आदि से संबंधित अभिलेख मेरे तथा संबंधित जारीकर्ता कार्यालय में संधारित एवं सुरक्षित है, तथा कभी भी आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उक्त प्रमाण पत्र असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की स्थिति में मेरी अभ्यर्थिता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है तथा मैं किसी भी प्रकार की विभागीय एवं विधिक कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं यह शपथ पत्र व्यापम द्वारा आयोजित राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा- 2023 उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...................... पिता/पति .... सत्यापित करता हूं कि इस शपथ पत्र की कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सहीं है, जिसे मैं पूरे होशो-हवास में सत्यापित करता/करती हूं।

हस्ताक्षर ....